महिला किसान दिवस (15 अक्टूबर, 2017) के अवसर पर माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधामोहन सिंह जी का भाषण

मंच पर विराजमान श्रीमती कृष्णा राज, कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री, भारत सरकार श्रीमती अर्चना चिट्नीस, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, डा. त्रिलोचन महापात्रा, डी. जी., आई.सी.ए.आर. डा. ए. के. सिंह, डी.डी.जी., एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं डा. वी. पी. चहल, ए.डी.जी. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन

पिछले वर्ष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया । निर्णय का आधार था-संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना। देश के समस्त कृषि विष्वविद्यालय, संस्थान एवं के.वी.के. आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं ।

आज की वर्तमान चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकने तथा प्रबंधन करने में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। देखा जाए तो महिलाएं कृषि में बहुआयामी भूमिकाएं निभाती हैं। जहाँ बुवाई से लेकर रोपण, निकाई, सिंचाई, उर्वरक डालना, पौध संरक्षण, कटाई, निराई, भंडारण आदि सभी प्रक्रियाओं से वो जुडी हुई हैं वहीँ घर गृहस्थी के काम जैसे कि खाना पकाना, जल संग्रहण, ईंधन लकड़ी का संग्रहण, घरेलू रखरखाव आदि के कार्य भी उन्ही के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा वे कृषि से सम्बंधित अन्य धंधो जैसे, मवेशी प्रबंधन, चारे का संग्रह, दुग्ध और कृषि से जुडी सहायक गतिविधियों जैसे मधुमक्खी पालन, मशरुम उत्पादन, सूकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि में भी पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। कृषि क्षेत्र के भीतर, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय कारकों के आधार पर काम करने वाले (I) वैतनिक मजदूरों (II) अपनी स्वयं की जमीन पर श्रम कर रहीं जोतकार और (III) कटाई पश्चात अभियानों में श्रम पर्यवेक्षण और सहभागिता के जरिए कृषि उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

- ऐसा अनुमान है कि विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन में 60-80 प्रतिशत योगदान महिलाओं का है और विश्व में खाद्य की आधी आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान है ।
- विश्व स्तर पर कृषि में महिला मजदूर 43 प्रतिशत हैं, यह अमेरिका में 20 प्रतिशत, अफ्रीका में 50 प्रतिशत, दक्षिण एशिया में 35 प्रतिशत, दक्षिण पश्चिम एशिया में 50 प्रतिशत और भारत में

लगभग 30 प्रतिशत है । विश्व बैंक के एक आंकड़े के अनुसार भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की भूमिका 90 प्रतिशत से अधिक है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान करीब 32 प्रतिशत है, जबकि कुछ राज्यों (जैसे की पहाड़ी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा केरल राज्य) में महिलाओं का योगदान कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुरुषों से भी ज्यादा है। भारत के 48 प्रतिशत कृषि से संबंधित रोजगार में औरतें हैं जबकि करीब 7.5 करोड महिलाएं दुग्ध उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभाती हैं।

एक आंकड़े के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं की सहभागिता चाय बागानों में 47 प्रतिशत, कपास की खेती में 46.8, तिलहन फसलों की खेती में 45.43 तथा सब्जियो के उत्पादन में 39.13 है जबकि मछली उत्पादन क्षेत्र में इनकी भूमिका 21-24 है। परंतु इन सबके बावजूद भी महिलाओं की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में 17 तक ही आंकी जा सकी है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए तथा उनकी जमीन ऋण और अन्य सुविधाओं तक पहुँच को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय कृषि नीति में उन्हें घरेलू और कृषि भूमि दोनों परसंयुक्त पट्टे देने जैसे नीतिगत प्रावधान किए हैं। इसके साथ कृषि नीति में उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी करनाए फसल.पशुधन पद्धतियों कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से जीविका के अवसरों का सृजन करवाये जाने जैसे प्रावधानो का भी ज़िक्र है। तदनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य आज कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों के कल्याण के लिए उपाय करना है। साथ ही अपने समग्र जनादेश, लक्ष्यों और उद्देश्यों के भीतर यह भी सुनिश्चित करना है कि महिलाएं कृषि उत्पादन और उत्पादकता में प्रभावी ढंग से योगदान दें और उन्हें बेहतर जीवनयापन के अवसर मिले। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने और इनपुट प्रौद्योगिकी और अन्य कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए उचित संरचनात्मकए कार्यात्मक और संस्थागत उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए कई प्रकार की पहल की जा चुकी हैं ।

कृषि में महिलाओं की अहम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की स्थापना भुवनेश्वर में की । यह संस्थान कृषि में महिलाओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर कार्य करता है । इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक संस्थानों ने कई तकनीकियों का सृजन किया ताकि महिलाओं की कठिनाईयों को कम कर उनका सशक्तिकरण हो। देश में 680 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं । हर

कृषि विज्ञान केन्द्र में एक महिला वस्तु विषेशज्ञ (गृह विज्ञान) है । वर्ष 2016-17 में महिलाओं से संबंधित 21 तकनीकियां का मूल्यांकन किया गया और 2.56 लाख महिलाओं को कृषि संबंधित क्षेत्रों जैसे सिलाई, उत्पाद बनाना, वेल्यू एडिशन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन, आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए कम से कम 30% धनराशि का आवंटन

(ii) विभिन्न लाभार्थी-उन्मुखीकार्यक्रमों/योजनाओं और मिशनों के घटकों का लाभ महिलाओं तक पहुचाने के लिए महिला समर्थित गतिविधियां शुरु करना; तथा

(iii) महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन पर ध्यान केंद्रित करना ताकि क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें माइक्रो क्रेडिट से जोडा जा सके और सूचनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ सके एवं साथ ही विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो।

मेरे मंत्रालय द्वारा कई प्रो वीमेन या महिला समर्थित कदम भी लिए गए है जिनमें से कुछ यह हैं -

- योजना प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के लिए, विभाग के आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य, **जिला और ब्लॉक स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों** में उनके नियत नामांकन के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना
- **महिलाओं तक पहुँचने वाली सुविधाओं के आंकड़ों का रखरखाव** - विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं की सघनता, भागीदारी तथा कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच दर्शाने वाले आंकडो के रख-रखाव के लिए कार्यक्रमों के रिपोर्टिंग प्रोफोर्मो में बदलाव किया जा रहा है जिससे हर मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उनकी संख्या के अनुपात में लाभ और निधि का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
- **पुरूष कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता और व्यवहार में बदलाव** लाने के लिए एक **महिला संवेदनशील मॉड्यूल** (जीएसएम) भी विकसित किया गया है। मैनेज, विस्तार शिक्षा संस्थानों और राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस मोडयूल को रोज़मर्रा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षार्थियो के साथ साझा किया जा रहा है । वर्ष 2016-17 के दौरान महिला संवेदीकरण मॉड्यूल कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के मैनेज, ई ई आई, समेती और अन्य संस्थानों के **1580 कार्यक्रमों** के माध्यम से साझा किया गया है । साथ ही

आत्मा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक **98.14 लाख** से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, 2014 में जब संशोधित आत्मा योजना को परिचालित किया गया, तब विस्तार कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम में प्रति राज्य **एक महिला समन्वयक' का पद** भी सृजित किया गया, जिसकी भूमिका, महिलाओं को उनकी आवश्यकतानुसार एक नीतिगत तरीके से उनके लिए प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम आयोजित कर उनकी क्षमता निर्माण का विकास किया जा सके ।
- यदपि भूमि तक महिलायों की पहुँच सुनिश्चित करने का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग का है और वैसे भी यह मुद्दा राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है परंतु महिलायों की भूमि तक पहुँच बढाने के उदेश्य से हाल ही में सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यो के प्रमुख सचिवों को गाँव की सामुदायिक ज़मीन, तालाब आदि का पट्टा ९९ वर्ष अथवा लम्बे समय की लीज़ पर महिला समूहों को देने का आग्रह किया गया है!

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज कृषि अनुसंधान, प्रसार कार्य तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण यह है कि कैसे ऐसी महिलाओं को अधिक से अधिक भूमिका तथा हिस्सेदारी दी जाये, किस प्रकार उनके ज्ञान तथा सूझ-बूझ को कृषि विकास के साथ-साथ देश के विकास से जोड़ा जाए।

अपने संपूर्ण जनादेश, लक्ष्यों और उद्देश्यों के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहेगा कि महिलायें कृषि की मुख्यधारा का हिस्सा बन कर और कृषि पर खर्च होने वाले हर रूपए का फायदा पाकर कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने तथा अपने परिवार की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें

वर्तमान सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे जैविक खेती, स्वरोजगार योजना, भारतीय कौशल विकास योजना, इत्यादि में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मेरा मानना है कि यदि महिलाओं को अच्छा अवसर तथा सुविधा मिले तो वे देश की कृषि को द्वितीय हरित क्रांति की तरफ ले जाने के साथ-साथ देश के विकास का परिदृष्य भी बदल सकती हैं।

जय हिन्द